



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 21, 2019/श्रावण 30, 1941

No. 298]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 21, 2019/SHRAVANA 30, 1941

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2019

फा.सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/31 (खंड III).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :-

1. (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या निविदा वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की प्राप्ति संहिता) संशोधन विनियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या निविदा वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की प्राप्ति संहिता) विनियम, 2008, -

(क) विनियम 13 में,-

(i) उप विनियम (10) के लिए निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

“(10) (i) एक निलंबलेख खाता स्थापित किया जाएगा जिसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या निविदा वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की प्राप्ति संहिता) संशोधन विनियम, 2019 के प्रारंभण की तारीख से बोर्ड द्वारा रखा जाएगा जिसमें ट्रांसपोर्टर द्वारा इस विनियम के अंतर्गत असंतुलन और अधिक उपयोग के कारण प्राप्त सभी प्रभारों को जमा किया जाएगा। असंतुलन और अधिक उपयोग की प्रभार दरें निम्नानुसार होंगी:

क्रमांक	मद	विवरण	प्रभार
1.	अनधिकृत रूप से अधिक उपयोग	निर्धारित क्षमता से 110% अधिक	प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रशुल्क का ½ गुना
2.	धनात्मक असंतुलन	निर्धारित की गई क्षमता के 10% से अधिक संचयी असंतुलन	प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रशुल्क का ½ गुना
3.	ऋणात्मक असंतुलन	निर्धारित की गई क्षमता के 5% से अधिक संचयी असंतुलन	प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रशुल्क का ½ गुना

(ii) ट्रांसपोर्टर प्रभावी करें और लेवी सहित असंतुलन और अधिक उपयोग प्रभारों के लिए एक पृथक बीजक बनाएगा। ट्रांसपोर्टर कर और लेवियों को संबंधित प्राधिकारियों के पास जमा करेगा।

(iii) ट्रांसपोर्टर खंड (ii) में उल्लिखित असंतुलनों या अधिक उपयोग प्रभारों को शिपर से वसूल करने के लिए उसे परिवाहन प्रभारों का भुगतान करने के लिए दी गई दी गई अवधि के अंदर करने के सभी उचित प्रयास करेगा।

(iv) ट्रांसपोर्टर खंड (ii) में उल्लिखित प्रभारों (करों और लेवियों के अतिरिक्त) के लिए शिपर से प्राप्त होने वाली राशियों को उन विवरणों सहित जिनकी बोर्ड को समय समय पर आवश्यकता हो उस कैलेंडर तिमाही के अंत से पंद्रह दिनों के अंदर, जिसमें उसे वह राशि प्राप्त हुई हो, बोर्ड द्वारा रखे गए निलंबलेख खाते में जमा करेगा। ट्रांसपोर्टर को, उसे प्राप्त होने वाली किसी भी राशि में से बोर्ड द्वारा खंड (viii) के अंतर्गत अनुमोदित किए गए दावे के अतिरिक्त किसी भी राशि (करों और लेवियों के अतिरिक्त) को अपने पास रखने अथवा काटने की अनुमति नहीं है।

(v) ट्रांसपोर्टर प्रत्येक तिमाही के अंत से साठ दिनों की अवधि के अंदर त्रैमासिक और इस प्रकार के विवरणों को सनदी लेखाकार के प्रमाणपत्र के साथ बोर्ड को महीनेवार, पाइपलाइनवार और शिपरवार इस प्रकार के शुल्कों के विवरण प्रत्येक शिपर से वसूलीयोग्य, शिपरों से प्राप्त हुई राशि और शिपरों से मिलने वाली राशि और उपर्युक्त पैरा (iv) के अनुसार जमा की गई राशि के साथ उसका समाधान करेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में चौथी तिमाही के लिए प्रमाणपत्र के साथ उपरोक्त जानकारी वाला एक वार्षिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा। यह जानकारी प्रदान करने के लिए प्रारूप इन विनियमों की अनुसूची III में रखा गया है।

(vi) शिपरों द्वारा उत्पन्न किए गए इस प्रकार के असंतुलनों के कारण आपूर्ति अथवा भुगतान व कंप्रेसड गैस के अतिरिक्त प्रयासों, पाइपलाइन के नकारात्मक असंतुलन व प्रणाली प्रबंधन के मामले में ट्रांसपोर्टर द्वारा अपने संविदात्मक दायित्वों के संदर्भ में व्यय की गई राशियों के लिए निलंबलेख खाते से दावा किया जा सकता है:

वशर्ते इस प्रकार का दावा निलंबलेख खाते में उसके द्वारा जमा की गई राशि से अधिक नहीं होगा।

(vii) ट्रांसपोर्टर व्यय की गई राशि के विवरण, अपने बैंक खातों के विवरण, स्थायी खाता क्रमांक और इस प्रकार के दावे का विस्तृत औचित्य व इस प्रकार के विवरणों को प्रमाणित करने वाले सनदी लेखाकार के प्रमाणपत्र सहित अपना दावा खंड (vi) के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिन के अंदर प्रस्तुत कर सकता है।

(viii) बोर्ड इस प्रकार के दावों पर गुणों के आधार पर विचार करेगा और जैसा उसे उपयुक्त लगे वह उस प्रकार की और जानकारी मांग सकता है। बोर्ड पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के 60 दिन के अंदर ट्रांसपोर्टर को अनुमोदित दावे की राशि की सूचना देगा जिसे ट्रांसपोर्टर द्वारा इसके पश्चात निलंबलेख खाते में जमा की जाने वाली राशि में से घटाया जा सकता है।

(ix) ट्रांसपोर्टर द्वारा स्थापित किए गए निलंबदाव खाते में जमा संचित राशियों को ब्याज सहित और उस पर हुई किसी भी अन्य प्रकार की आय के साथ बोर्ड द्वारा स्थापित किए गए निलंबदाव खाते में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या निविदा वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की प्राप्ति संहिता) संशोधन विनियम, 2019 के प्रारंभण की तारीख से तीस दिन के अंदर जमा करवाया जाएगा। ट्रांसपोर्टर सभी शिपरों से प्राप्त हुए कुल असंतुलन और अधिक उपयोग प्रभारों से संबंधित वर्षवार, पाइपलाइनवार और शिपरवार विवरण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या निविदा वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की प्राप्ति संहिता) संशोधन विनियम, 2019 के प्रारंभण की

तारीख से नब्बे दिन के अंदर इन विवरणों को प्रमाणित करने वाले सनदी लेखाकार के प्रमाणपत्र सहित बोर्ड द्वारा परिचालित निलंबलेख खाते में संपूर्ण राशि के अंतरित होने की तारीख तक इस प्रकार के प्रभारों को निलंबलेख खाते में जमा के विवरण, निलंबलेख खाते से आहरण के विवरण और इस प्रकार के निलंबलेख खाते से ब्याज अथवा किसी भी अन्य अर्जन को वर्षवार, पाइपलाइन-वार और कुल असंतुलन और इसके द्वारा प्राप्त अधिक उपयोग प्रभारों के विवरण प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त यदि ट्रांसपोर्टर ने पिछली किसी भी अवधि में शिपरों से प्राप्त असंतुलन और अधिक उपयोग प्रभारों को निलंबलेख खाते में जमा करने से पूर्व उसमें से किसी भी राशि की कटौती की है/को अपने पास रखा है तो सनदी लेखाकार के प्रमाणपत्र के साथ तत्संबंधी वर्षवार विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

(x) जहाँ ट्रांसपोर्टर द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या निविदा वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की प्राप्ति संहिता) संशोधन विनियम, 2019 के प्रारंभण की तारीख से संचित राशि को तीस दिन से अधिक अवधि में परिपक्व होने वाले निवेशों में निवेश कर दिया जाता है वहाँ खंड (ix) के प्रावधानों के कार्यान्वयन में होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए बोर्ड ट्रांसपोर्टर के अनुरोध पत्र पर अथवा स्वयं के विवेक के आधार पर, जो उचितलगे उस प्रकार का, अंतरिम आदेश जारी कर सकता है।”;

(ii) उप विनियम (11) को छोड़ दिया जाएगा;

(ख) अनुसूची-II के पश्चात निम्नलिखित अनुसूची को सम्मिलित किया जाएगा, नामतः :-

अनुसूची -III

(विनियम 13(10)(v) देखें)

असंतुलन और अधिक उपयोग से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु फॉर्मेट

तिमाही सूचना उपलब्ध करवाने हेतु फॉर्मेट:

वित्तीय वर्ष 20.....-20..... की तिमाही की सूचना

प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का नाम :				
	शिपर का नाम	इनवाइसकृत राशि	बकाया राशि	प्राप्त हुई राशि
माह 1	शिपर 1	-	-	-
	शिपर 2	-	-	-
	शिपर3	-	-	-
माह 2	शिपर 1	-	-	-
	शिपर 2	-	-	-
	शिपर 3	-	-	-
माह 3	शिपर 1	-	-	-
	शिपर 2	-	-	-
	शिपर 3	-	-	-
योग		-	-	-
कर एवं लेवियाँ (सांविधिक प्राधिकारियों के पास जमा किए जाने वाले इनवाइस का भाग)		-	-	-
निलंबलेख खाते में अंतरित राशि				-

वार्षिक सूचना प्रस्तुत किए जाने वाला फॉर्मेट:

वित्तीय वर्ष 20....-20....की सूचना

प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का नाम:			
तिमाही	इनवाइसकृत राशि	बकाया राशि	प्राप्त हुई राशि
तिमाही 1	-	-	-
तिमाही 2	-	-	-
तिमाही 3	-	-	-
तिमाही 4	-	-	-
योग	-	-	-
कर एवं लेवियाँ (सांविधिक प्राधिकारियों के पास जमा किए जाने वाले इनवाइस का भाग)	-	-	-
निलंबलेख खाते में अंतरित राशि			-

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./186/19]

पाद टिप्पणी: मूल विनियम सा.का.नि. 541(अ), दिनांक 17/7/2008 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात इनमें सा.का.नि. 274(अ), दिनांक 21/4/2009, फा. सं. पीएनजीआरबी/एम/(सी)/48, दिनांक 17/02/2014 और फा. सं. एल-विविध/VII/2007, दिनांक 01/01/2015 द्वारा संशोधित किए गए थे।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th August, 2019

F. No. PNGRB/M(C)/31 (Vol.III).—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for Common Carrier or Contract Carrier Natural Gas Pipelines) Amendment Regulations, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for Common Carrier or Contract Carrier Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008,-
 - (a) in regulation 13,-
 - (i) for sub-regulation (10), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(10) (i) There shall be established an escrow account to be maintained by the Board from the date of the commencement of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for Common Carrier or Contract Carrier Natural Gas Pipelines) Amendment Regulations, 2019, in which there shall be credited all charges received by the transporter on account of imbalances and overruns. The imbalance and overrun charges shall be as follows:

S.No.	Item	Particulars	Charges
1.	Unauthorised Overrun	Beyond 110% of the allocated capacity	½ time Tariff of natural gas pipeline
2.	Positive Imbalance	Cumulative Imbalance beyond 10% of booked capacity	½ time Tariff of natural gas pipeline
3.	Negative Imbalance	Cumulative Imbalance beyond 5% of booked capacity	½ time Tariff of natural gas pipeline

(ii) The transporter shall raise a separate invoice towards imbalance and overrun charges, including applicable taxes and levies. The transporter shall deposit the taxes and levies with the concerned authorities.

(iii) The transporter shall make all reasonable efforts for recovering the imbalance and overruns charges referred to in clause (ii) from the shipper within the period it allows shipper to pay its transportation charges.

(iv) The transporter shall deposit the amounts received by it from the shipper on account of the charges referred to in clause (ii) (excluding taxes and levies) into the escrow account maintained by the Board within a period of fifteen days from the end of the calendar quarter during which such amounts were received by it along with such details thereof as the Board may require from time to time. Transporter is not allowed to retain or deduct any amount (except for taxes and levies) received by it except the claim approved by the Board under clause (viii).

(v) The transporter shall submit to the Board month-wise, pipeline-wise and shipper-wise details of such charges as are recoverable from each shipper, amounts received from the shippers and the amounts due from shippers and its reconciliation with the amount deposited in accordance with as specified in clause (iv), quarterly within a period of sixty days from the end of each quarter along with a certificate from a Chartered Accountant certifying such details and further, at the end of each financial year, an annual certificate containing the said details shall be submitted by the transporter to the Board along with the certificate for the fourth quarter. Format for providing such details is as specified in Schedule III to these regulations.

(vi) The transporter may claim from the escrow account maintained by the Board the amounts incurred by it towards its contractual obligations with reference to supply or pay and extra efforts to compress gas in case of negative imbalances and system management of the pipeline system due to such imbalances created by the shippers:

Provided that such claim shall not exceed the amount deposited by him in the escrow account.

(vii) The claim under clause (vi) may be submitted annually by the transporter to the Board within 60 days of the end of each financial year with details such as details of amounts incurred by it, its bank account details, Permanent Account Number and detailed rationale of such claim, along with a certificate from a Chartered Accountant certifying such details.

(viii) The Board shall consider such claims on merits and may seek such further information as it may deem fit and the Board shall communicate the amount of claim approved to the transporter within 60 days from receipt of complete information, which may be deducted by the transporter from the subsequent deposits to be made by it into the escrow account.

(ix) The accumulated amounts lying in the escrow account established by the transporter along with interest and any other earnings thereon shall be deposited by the transporter into the escrow account established by Board within thirty days from the commencement of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for Common Carrier or Contract Carrier Natural Gas Pipelines) Amendment Regulations, 2019. The transporter shall submit year-wise, pipeline-wise and shipper-wise details of total imbalance and overrun charges received by it from all the shippers, details of deposit of such charges in its escrow account, details of withdrawal from such escrow account and details of interest or any other earnings from such escrow account up to the date of transfer of whole amount to the escrow account operated by the Board along with a certificate from a Chartered Accountant certifying these details within ninety days from the commencement of the Petroleum and

Natural Gas Regulatory Board (Access Code for Common Carrier or Contract Carrier Natural Gas Pipelines) Amendment Regulations, 2019, and further, if transporter deducts or retains any amount from the imbalance and overrun charges received from shippers before depositing it in the escrow account maintained by it in any of the past period, the transporter is required to submit the year wise details thereof along with certificate from chartered accountant to the Board.

(x) The Board may issue such interim order as it thinks fit, either on the application of the transporter or on its own, to remove any difficulty in implementing the provisions of clause (ix) where the accumulations are invested by the transporter in deposits maturing beyond thirty days from the commencement of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for Common Carrier or Contract Carrier Natural Gas Pipelines) Amendment Regulations, 2019.”;

(ii) Sub-regulation (11) shall be omitted;

(b) after Schedule-II, the following Schedule shall be inserted, namely: -

“Schedule - III

[See regulations 13(10)(v)]

Format for providing the information of imbalance and overrun charges

Format for proving quarterly information:

Information for the Quarter ... of Financial Year 20...-20...

Name of Natural Gas Pipeline:				
	Name of Shipper	Invoiced Amount	Amount Outstanding	Amount Received
Month 1	Shipper 1	-	-	-
	Shipper 2	-	-	-
	Shipper 3	-	-	-
Month 2	Shipper 1	-	-	-
	Shipper 2	-	-	-
	Shipper 3	-	-	-
Month 3	Shipper 1	-	-	-
	Shipper 2	-	-	-
	Shipper 3	-	-	-
TOTAL		-	-	-
Taxes and levies (part of invoice, to be deposited with statutory authorities)		-	-	-
Amount transferred to escrow account				-

Format Providing annual information:

Information for the Financial Year 20...-20...

Name of Natural Gas Pipeline:			
Quarter	Invoiced Amount	Amount Outstanding	Amount Received
Quarter 1	-	-	-
Quarter 2	-	-	-
Quarter 3	-	-	-

Quarter 4	-	-	-
Total	-	-	-
Taxes and levies (part of invoice, to be deposited with statutory authorities)	-	-	-
Amount transferred to escrow account			-

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./186/19]

Foot Note: Principal regulations were notified vide GSR 541(E), dated 17/07/2008 and amended vide GSR 274(E), dated 21/04/2009, F. No. PNGRB/M(C)/48, dated 17/02/2014 and F. No. L-MISC/VI/I/2007, dated 01.01.2015.